कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला(म.प्र.)

Phone: 07642-299078 Email- Secdlsamdl@mp.gov.in

पृ.क्रं. 350/ Panel Advocate / जिविसेप्रा / 2026 मंडला, दिनांक 12 / 08 / 2026

/ / विज्ञापन / /

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला एवं तहसील विधिक सेवा समिति, निवास तथा बिछिया हेतु पैनल अधिवक्ता के चयन हेतु विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम 2010 के विनियम 8 के अनुपालन में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला एवं तहसील विधिक सेवा समिति, निवास एवं बिछिया के लिए वर्ष 2027–2030 हेतु 03 वर्ष की अवधि के लिए पैनल अधिवक्ताओं की सूची तैयार की जानी है। उक्त पैनल सूची तैयार किये जाने हेतु इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन आहूत किये जा रहे हैं।

1. **पदसंख्या, न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव :–**

क्र.	प्राधिकरण / समिति	प्रकरण की प्रकृति	पैनल अधिवक्ताओं की प्रस्तावित संख्या	न्यूनतम अनुभव
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला	जिला न्यायाधीश द्वारा विचारणीय प्रकरण	2	7 वर्ष या अधिक
2		किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचारणीय प्रकरण	3	3 वर्ष या अधिक
3		जिला न्यायाधीश से भिन्न न्यायालयों द्वारा विचारणीय प्रकरण	8	3 वर्ष या अधिक
5	तहसील वि. से.स. निवास	समस्त न्यायालयों द्वारा विचारणीय प्रकरण	5	3 वर्ष या अधिक
6	तहसील वि. से.स. बिछिया		2	3 वर्ष या अधिक

1. **नोटः–** जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स की भर्ती मुख्यालय में स्थित समस्त दाण्डिक न्यायालयों में पैरवी हेतु की गई है, उक्त स्थिति में जिला न्यायालय के व्यवहार प्रकरणों, कुटुम्ब न्यायालय के प्रकरण, राजस्व न्यायालय के प्रकरणों, मजिस्ट्रेट विचारण के ऐसे प्रकरण जो एल.ए.डी.सी. को नहीं सौंपे जा सकते हैं (जैसे धारा 138 एन.आई.ए., धारा 144 बी.एन.एस.एस., घरेलू हिंसा इत्यादित) एवं किशोर न्याय बोर्ड के प्रकरणों की पैरवी के लिए तथा तहसील न्यायालयों में उपरोक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त दाण्डिक प्रकरणों की पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ताओं का चयन किया जाना है। **यदि कोई अधिवक्ता विशिष्ट विषय में विशेष रूचि या ज्ञान रखते हैं तो उनके आवेदन में स्पष्ट उल्लेख करें।**

2. **आवेदन का प्रारूप प्राप्त करने की प्रकियाः–**

उक्त विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप जिला न्यायालय, मण्डला की आधिकारिक वेबसाईट https://mandla.dcourts.gov.in/ पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला, तहसील विधिक सेवा समिति निवास, नैनपुर एवं बिछिया एवं अधिवक्ता संघ मण्डला, निवास नैनपुर तथा बिछिया के नोटिस बोर्ड एवं कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते हैं।

3. **आवेदन भरने की प्रकियाः–**

सभी अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अपने आवेदन पत्र भरते समय पूर्ण सावधानी के साथ सभी प्रविष्टियों का अंकन करें ताकि संशोधन की आवश्यकता उत्पन्न न हो। एक बार आवेदन कार्यालय में जमा कर दिये जाने के पश्चात किसी भी संशोधन की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. **आवेदन जमा करने की अंतिम तिथिः–**

इच्छुक अभ्यर्थी विहित आवेदन को उचित ढंग से भरकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला (म.प्र.) के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक **31.08.2026 समय सायं 5.00 बजे** तक जमा कर सकते हैं। उक्त निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. **आवेदनों के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः–**

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हैः–

a. नामांकन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
b. अनुभव प्रमाण–पत्र।
c. आवेदक द्वारा पैरवी किये गये सिविल अथवा दाण्डिक प्रकरणों में से कोई भी 2 प्रकरणों के निर्णय की स्वप्रमाणित प्रति।
d. आवेदक द्वारा 02 दाण्डिक प्रकरणों में किये गये प्रार्थी या हितबद्ध साक्षी जो पक्षद्रोही न हो एवं विवेचक के प्रतिपरीक्षण की स्वप्रमाणित प्रति।
e. एक सिविल प्रकरण में किये गये प्रतिपरीक्षण की स्वप्रमाणित प्रति।
f. किसी तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge) संबंधी दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि उपलब्ध हो)।

6. **आवेदनों की जांच एवं चयन प्रकियाः–**

अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों की विहित नियमों के अनुसार जांच की जाएगी। जांच में यदि यह पाया जाता है कि आवेदन अपूर्ण है या उसमें दी गई जानकारी असत्य है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला को उक्त आवेदनों को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। आवेदनों की जांच के उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला (म.प्र.) के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। पैनल अधिवक्ताओं का चयन नालसा (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता) विनियम, 2010 संशोधित विनियम 2018 एवं 2019 के

विनियम 8 के उपविनियम (2) के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा शासकीय अधिवक्ता एवं विनियम (10) के अधीन गठित मॉनीटरिंग एवं मेन्टोरिंग समिति की सलाह से की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो साक्षात्कार भी लिया जा सकता है जिसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी। उक्त चयन समिति द्वारा चयनित वरीयता सूची को माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को भेजा जाएगा और अंतिम नियुक्ति उक्त अनुमोदन के अधीन होगी।

7. मानदेय के बारे में:–

चयनित पैनल अधिवक्ताओं को देय मानदेय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा समय–समय पर जारी आदेशानुसार निर्धारित दर के अनुसार किया जायेगा।

8. कार्यकाल एवं अन्य सेवा शर्तें:–

उक्त पैनल अधिवक्ताओं की सूची आगामी 03 वर्ष के लिए होगी। उक्त पैनल सूची के अधिवक्ताओं द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा मॉनीटरिंग एवं मेन्टोरिंग समिति के द्वारा समय–समय पर की जायेगी, जिसमें पैनल अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जायेगा। उक्त पैनल सूची के अधिवक्तागण विधिक सहायता के सभी प्रकार के प्रकरणों में पैरवी करने हेतु बाध्य होंगे, यदि वे बिना किसी उचित कारण के विधिक सहायता के प्रकरण में पैरवी करने नहीं जायेगे या प्रकरण का नियुक्ति पत्र लेने से इंकार करेंगे तो उनका नाम विधिक सहायता की पैनल सूची से हटाया जा सकेगा।

संलग्नः– विहित आवेदन प्रारूप।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार)

12/8/26

(तपन धारेगा)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मण्डला (म0प्र0)

जिला/तहसील न्यायालय में विधिक सहायता पैनल हेतु आवेदन पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो एवं हस्ताक्षर

प्रति,

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मण्डला।

द्वाराः– अधिवक्ता संघ के माध्यम से/व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत।

महोदय,

मैं विधिक सहायता प्रदान करने हेतु अपनी सेवाएं देने का स्वेच्छा से प्रस्ताव देता हूं। इसके साथ ही मैं अपना बायोडाटा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर रही/रही हूं। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरा नाम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला/तहसील विधिक सेवा समिति, निवास बिछिया की पैनल सूची में शामिल करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अधिवक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर)

अधिवक्ता का विवरण

1. अधिवक्ता का नाम–.....आयु.....
2. पिता/पति का नामः–.....
3. पत्र व्यवहार का पूरा पताः–.....

4. दूरभाष/मोबाइल नं.:–.....ईमेल आई.डी.
5. राज्य अधिवक्ता परिषद का पंजीयनः–.....(प्रमाण पत्र/सनद की छायाप्रति संलग्न करे)
6. जिला/सिविल न्यायालय मेंअधिवक्ता व्यवसाय का अनुभव.....
7. प्रकरणों की अनुमानित संख्या जिनमें पैरवी की गई है–
 सिविल.....आपराधिक.....राजस्व.....श्रम.....उपभोक्ता फोरम.....
 कुटुम्ब.....किशोर न्याय बोर्ड.....
8. जातिः–(एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./सामान्य).....लिंग (महिला/पुरूष/अन्य)
9. व्यवसाय प्रांरभ की तिथि :–.....अनुभव.....वर्ष.....
10. विधिक सहायता पर रिटेनर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने हेतु सहमत हैं या नहीं:–
11. पैरवी करने हेतु इच्छुक/रूचि क्षेत्र (कृपया सही का निशान लगायें)

() सिविल () क्रिमिनल () राजस्व () कुटुम्ब () उपभोक्ताफारेम () श्रम न्यायालय
() रिमाण्ड () क्लेम () किशोर न्याय बोर्ड () सिविल () सभी

12. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:–
(जो लागू न हो उसे काट दें)

a. नामांकन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
b. अनुभव प्रमाण–पत्र।
c. आवेदक द्वारा पैरवी किये गये सिविल अथवा दाण्डिक प्रकरणों में से कोई भी 2 प्रकरणों के निर्णय की स्वप्रमाणित प्रति।
d. आवेदक द्वारा 02 दाण्डिक प्रकरणों में किये गये प्रार्थी या हितबद्ध साक्षी जो पक्षद्रोही न हो एवं विवेचक के प्रतिपरीक्षण की स्वप्रमाणित प्रति।
e. एक सिविल प्रकरण में किये गये प्रतिपरीक्षण की स्वप्रमाणित प्रति।
f. किसी तकनीकी ज्ञान (Technical Knowledge) संबंधी दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति। (यदि उपलब्ध हो)।

//घोषणा पत्र//

मैंअधिवक्ता पंजीयन कमांक

प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य व सही है।

दिनांक.

स्थान

(अधिवक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर)